



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक-07.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Sujeet Kumar के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 821 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AMRIT PRADHAN	RASHMI RANJAN PRADHAN, MOB-7008942397	V	KENDRAPADA
2	SAI SARAN JENA	RAJESH KUMAR JENA, MOB-9439180172	II	NO.2 KHAPURIA, CUTTACK
3	ARADHYA SAHOO	RAMAKANTA SAHOO, MOB-8763109235	II	NO.1,CDA, CUTTACK
4	SWATI SELLINA SAHOO	ANIL KUMAR SAHOO, MOB-9937738299	I	NO.4 NILADRI VIHAR, BHUBNESWAR
5	SAI SUBHAM DAS	SATYA RANJAN DAS, MOB-9437274245	I	NO.1,CDA, CUTTACK
6	SUDARSAN PATRO	SANJAY PATRO, MOB-9937864397	I	CHANDARPUR,GANJAM
7	SOMESH MUDULI	JAGANATH MUDULI, MO8-9861963524	I	CHHATARPUR, GANJAM
8	ARMAN RAJ JENA	ASWINI KUMAR JENA, MDB-9438320205	I	NO.1, SATYANAGAR, BHUBNESWAR
9	AARAV ARPAN JENA	SATYA PRAKASH JENA, MOB-9040000064	I	NO.3 BHUBNESWAR
10	STUTEE DAS	SIDHARTH DAS, MOB-9438273551	III	CDA, CUTTACK

पिया ठाकुर

कृ. पू. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पे 21 8/3/20
7/8/xx
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Sujeet Kumar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, BHUBNESWAR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)